न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

घासी सिंह बनाम महावीरसिंह वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या – 96/2025 (दूदू)

	श्री सुण्डाराम जाट	श्री शौकिन्दलाल गुर्जर 01

घासी बनाम महावीर वगैरह (2025/96)

09.04.2025

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, प्राथमिक आपत्ति बावत अपील संधारण योग्य नहीं, धारा 151 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर दिनांक 08.04.2025 सुना गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थी की खातेदारी एवं काश्तकारी की आराजीयात है जो अपने दादा श्री पीर सिंह से पिता श्री छाजूसिंह को तत्पश्चात छाजूसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप से पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 के तहत रिकार्डेड खातेदारान को ही पावंद कर दिया गया है जो विगत 20 वर्षो सं अवैधानिक रूप से पावंद चले आ रहे है। जबकि जा0दी0 के स्थापित प्रावधानों के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का 6 माह के भीतर अंतिम निस्तारण करना होता है जिससे आदेश दिनांक 19.12.2005 कतई अवैधानिक होकर शून्य एवं प्रभावहीन है जिस पर मियाद के प्रावधान लागू नहीं होते है।

प्रार्थी सन् 2022 से लगातार विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष मुकदमें की जानकारी हेतु समय–समय पर जाता है लेकिन वाद एवं प्रार्थना पत्र दोनों ही पत्रावलियों में मई, जून 2022 के पश्चात आदेशिकाएं भी मुर्तिब नही हो रही है, फिर भी आदेश दिनांक 19.12.2005 से प्रार्थी विगत 20 वर्षो से लगातार पीडा झेलता आ रहा है। ऐसे आदेश जा0दी0 एवं आदेश 20 के अनुसार अवैधानिक आदेश की श्रेणी में आते है जिस पर मियाद के कानून प्रावधना कतई लागू नहीं होते है।

प्रार्थी को दिनांक 28.01.2025 को कानूनी सलाह प्रदान की गई जिसके आधार पर प्रार्थी की ओर से दिनांक 29.01.2025 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की सम्पूर्ण आदेशिका की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो जारी नकल के प्रथम पृष्ठ से ही सिद्ध है लेकिन दिनांक 105.05.2022 तक ही आदेशिकाएं प्राप्त हुई उसके पश्चात आज दिनांक तक कोई आदेशिकाएं प्राप्त नहीं हुई।यही नहीं मूल वाद पत्र के आदेशिकाए प्राप्त करने हेतु दिनांक 07.08.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं सम्पूर्ण आदेशिका हेतु निवेदन किया गया जो दिनांक 08.08.2024 को प्राप्त हुई जिसमें भी अंतिम आदेशिका दिनांक 06.07.2022 की अपूर्ण अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित दिनांको के पश्चात वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में आदेशिकाएं ही वितग ढाई वर्ष से मुर्तिब ही नहीं की गई। ऐसी कार्यवाहीयों में उलझ कर प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी विगत 20 वर्षो से अवैधानिक आदेश दिनांक 19.12.2005 से आज दिनांक तक पीडित है लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाहीं नहीं की जा रही है। जिससे आदेश दिनांक 19.12.2005 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुती के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner

अतिरिक्त प्रार्थी के पास न्याय प्राप्ति हेतु अन्य कोई विकल्प शेष नही है। जिसे उपरोक्त कारणों से उक्त अपील प्रस्तुती में लगा समय क्षमा फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाया जाना अत्यंत न्यायोचित है। गुणावगुण पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अपील प्रस्तुती में लगा समक्ष क्षमा फरमाकर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.12.2005 को दोनो पक्षों की सुनवाई कर आदेश पारित किया गया, जो पूर्ण जानकारी अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवादी एवं उनके अभिभाषक की होने पर दिनांक 19.12.2005 के अंतरिम आदेश के अवलोकन से स्वयं स्पष्ट है, जो आदेश जानकारी दिनांक 19.12.2005 से होना अर्थात अभिभाषक की कानूनी जानकारी मौके पर आराजी का विकास कर रेस्पो0 काबिज खातेदार चला आ रहा है, उक्त दिनांक 28.01.2025 की जानकारी मिथ्या कथन अंकित कर उक्त अपील सलाह पर पेश होना अंकित कर पेश की गई, जो आदेश जानकारी लगभग 20 वर्ष अपील मियाद बाहर होकर काबिल निरस्त किये जाने योग्य है, जो धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कथनों को कथह स्वीकार नहीं होने से काबिल अपील जानकारी से मियाद बाहर होकर, इसी स्तर पर काबिल निरस्त योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील जानकारी से मियाद बहार होने से इसी स्तर पर मय खर्चे खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया की अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होने से अपील प्रस्तुती में हुई देरी को न्यायहित में कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात हम प्राथमिक आपत्ति बाबत अपील संधारण योग्य नही का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्राथमिक आपत्ति बाबत अपील संधारण योग्य नहीं प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के द्वारा पारित अंतरिम आदेश में दिनांक 19.12.2005 के विरूद्ध अपील काविल संधारण योग्य नही है, तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण जैरकार है, जिसमें पक्षकार ही नहीं है, प्रकरण के विचाराधीन वादग्रस्त आराजी विधि विरूद्ध क्रय की गई, जो इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में विना पक्षकार के सीधे अपील प्रस्तुत करने का अपीलांट का कोई अपील विधिक अधिकार ही नहीं है, इस बाबत किसी प्रकार से आपत्ति की उज्रदायरी पर सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया गया, जो सीधे ही अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश प्रकरण के निस्तारण की श्रेणी में नहीं आता है, जिसके विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय में संधारण योग्य नहीं होने से इसी आधार पर काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील में अपील प्रस्तुती से पूर्व में रेस्पो0 संख्या 02 बलवीर का दिनांक 05.09.2010 एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

घासी सिंह बनाम महावीरसिंह वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या – 96/2025 (दूदू)

रेस्पोडेन्ट संख्या 03 राजकंवर पुत्री रामकुंवार का स्वर्गवास दिनांक 20.02.2023 को हो गया, जो अपील न्यायालय में विधिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए पेश की गई, जो माननीय न्यायालय के समक्ष अपील मृतक के विरूद्ध होकर आदेश पारित कर दिया , जो अपील ही काबिल निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त अपील संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जावें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब निवेदन किया कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्राथमिक आपत्ति के पैरा संख्या 01 में किये गये कथन मिथ्या है क्योंकि अपीलांट द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी क्रय नहीं की गई है तथा उक्त विवादित आराजीयात पुश्तैनी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील संधारण योग्य है।

अपील की संधारण योग्यता पर हमने आर0वी0जे0 (28) 2021 पेज संख्या 222 का अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट है कि " **राजस्थान टीनेन्सी एंक्ट 1955– धारा 221 व 225 एस0डी0ओ0 द्वारा पारित अन्तरिम आदेश अपील योग्य है इसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है।**" उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार अपील संधारण योग्य है। पैरा संख्या 02 में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने कथन किया कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 एवं 03 मृतक है, जिसके विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में हमने पत्रावली के अध्ययन से पाया की वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा ही वाद प्रस्तुत किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 एवं 03 मृतक है तो उक्त मृतकों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही वादी/वर्तमान रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की जानी चाहिए थी, किन्तु उनके द्वारा नहीं की गई। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति अपील संधारण योग्य नहीं सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाता है।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र स्थगन पर आदेश पारित किया जाना उचित समझते है।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन हमने पाया कि

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा एक वाद तथा साथ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसे दिनांक 22.11.2005 को दर्ज किया गया। तत्पश्चात दिनांक 19.12.2005 को उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर वादग्रस्त आराजीयात बाबत बेचान नहीं किये जाने हेतु अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया। दिनांक 23.01.2006 से दिनांक 29.05.2022 तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी स्थगन पर किसी प्रकार से कोई अंतिम निस्तारण नहीं किया गया है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि वर्तमान में उक्त वादग्रस्त आराजीयात को बेचान किया जा चुका है जो कि ग्राम छापरवाडा में है जिसके नवीन खाता संख्या 99 एवं 494 है। मौके पर हमारी चने की फसल खडी है तथा उक्त बेचान से मौके पर गंभीर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तथा फौजदारी प्रकरण भी दर्ज होकर विचाराधीन है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीयात के संरक्षण एवं सुरक्षित रखने हेतु माननीय न्यायालय से निवेदन है। माननीय उच्चतर न्यायालयों ने भी इस संबंध में अनेको न्यायिक सिद्धान्तों में यह प्रतिपादित किया है कि जहां वाद बाहुल्यता बढने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
RAA

Scanned with CamScanner

की संभावना है वहा विवादित आराजीयात को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का उत्तरदायित्व न्यायालय का होता है। **अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि मौके पर चने की फसल खडी है, उसको काटते समय विवाद होने की संभावना है अतः मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाखी रखी जाने का आदेश प्रदान करावें।**

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.12.2005 को न्यायालय हाजा द्वारा अंतरिम रूप से स्थगित किया जा चुका है तथा वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए मौके पर वाद बाहुल्यता बढने की संभावना उत्पन्न हो रही है।

इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हम प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से न्यायहित में प्रकरण को इसी स्तर पर निर्णित कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित करना उचित समझते है।

अपील अपीलांट निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे **प्रकरण में मृतक पक्षकारों के विधिक वारिसानों की विधि अनुसार कायम मुकाम कार्यवाही को शीघ्रताशीघ्र संपादित करते हुए, न्याय एवं विधि को मध्येनजर रखते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए 30 दिवस में अंतिम रूप से निर्णय पारित करें तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निस्तारण किये जाने के उपरांत न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जावेगा। प्रकरण का अंतिम निस्तारण किये जाने के कारण अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 सारहीन होने से खारिज किया जाता है। उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.04.2025 को उपस्थित रहने हेतु पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

09/04/2025

(रामचन्द्र)

राजस्व अपील प्राधिकारी

अजमेर

Scanned with CamScanner